

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019—ज्येष्ठ 17, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 31 मई 2019

क्रमांक 196-सीमावृद्धि-2019.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नगर परिषद्, कुरावर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश की सीमा, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है. अनुसूची-एक में प्रस्तावित क्षेत्र नगर परिषद् कुरावर की सीमा में शामिल हो जाने पर नगर परिषद् कुरावर की चतुर सीमा अनुसूची-दो अनुसार हो जायेगी.

अनुसूची-एक के परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात से आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 07 दिन के भीतर अपनी आपत्ति कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत कर सकेगा. प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा:—

अनुसूची-एक

नगर परिषद्, कुरावर जिला राजगढ़ की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्तावित क्षेत्रफल

अ. क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (एकड़ में) हेक्टेयर	क्षेत्रफल का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नरसिंहगढ़	गीलाखेड़ी	1 से 780	632.412	सम्पूर्ण
2	नरसिंहगढ़	सेमलखेड़ी	1 से 249	359.874	सम्पूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	नरसिंहगढ़	बडनगर	1 से 357	493.523	सम्पूर्ण
4	नरसिंहगढ़	बिलेहरी	1 से 215	248.397	सम्पूर्ण
5	नरसिंहगढ़	पीलूखेडी	1 से 288	443.239	सम्पूर्ण
6	नरसिंहगढ़	सेवास	1 से 306	323.303	सम्पूर्ण
7	नरसिंहगढ़	तुर्कीपुरा	1 से 257	252.931	सम्पूर्ण

अनुसूची-दो

उत्तर—नाईहेडी, शिवपुरा

पूर्व—पार्वती नदी

दक्षिण—नगरीय क्षेत्र कुरावर

पश्चिम—मोहम्मदपुर जिला शाजापुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर.

राजगढ़, दिनांक 31 मई 2019

क्र. 196-सीमावृद्धि-2019.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 196, दिनांक 31 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर.

Rajgarh, the 31st May 2019

Serial number-196-2016.—In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of Clause 5-A of Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37, 1961), the State Government hereby notify its intention to include the area which are shown in the Schedule-1 below within the limits of the Nagar Parishad Kurawar Distt. Rajgarh. After including the said area of Schedule-1 in the limits of Nagar Parishad Kurawar Distt. Rajgarh the limits Nagar Parishad Kurawar will be shown in Schedule-2.

The local Authority having jurisdiction in the said area, person or resident there in may submit his objection within 07 days from the date of the publication of this notification to the Collector, Distt. Rajgarh. The State Govt. shall take such objection in to consideration:—

Schedule-One

The area of the village proposed to be included in Kurawar Municipal limit shall be as follows

S. No.	Tehsil	Name of Village	Proposed Survey No. to be included	Area (In Hect.)	Description of Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Narsingharh	Gilakhedi	1 to 780	632.412	Total
2	Narsingharh	Semalkhedi	1 to 249	359.874	Total

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Narsinghgarh	Badnagar	1 to 357	493.523	Total
4	Narsinghgarh	Bilhary	1 to 215	248.397	Total
5	Narsinghgarh	Pilukhedi	1 to 288	443.239	Total
6	Narsinghgarh	Sewas	1 to 306	323.303	Total
7	Narsinghgarh	Turkipura	1 to 257	252.931	Total

Schedule-Two

The boundary of schedule one, covering the current boundary of the Nagar Parishad Kurawar District Rajgarh

North—Naiheddi, Shivpura

East—Parwati River

South—Urban Area Kurawar

West—Mohhomadpur Distt. Shajapur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NIDHI NIVEDITA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 3 जून 2019

क्र. 209-सीमावृद्धि-2019.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नगर परिषद्, छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश की सीमा, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है. अनुसूची-एक में प्रस्तावित क्षेत्र नगर परिषद् छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ की सीमा में शामिल हो जाने पर नगर परिषद् छापीहेड़ा की चर्तुसीमा अनुसूची-दो अनुसार हो जावेगी.

अनुसूची एक के परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात से आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 07 दिन के भीतर अपनी आपत्ति कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत कर सकेगा. प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

अनुसूची-एक

नगर परिषद्, छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्तावित क्षेत्रफल

अनु. क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (एकड़ में) हेक्टेयर	क्षेत्रफल का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खिलचीपुर	तेलीखेड़ा	1 से 163 तक	133.023 हेक्टेयर	सम्पूर्ण

अनुसूची-दो

उत्तर—ग्राम पीपाखेडी की सीमा
पूर्व—ग्राम सनखेडी की सीमा
दक्षिण—नगरीय क्षेत्र छापिहेडा की सीमा
पश्चिम—ग्राम मोहन की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर.

राजगढ़, दिनांक 3 जून 2019

क्र. 209-सीमावृद्धि-2019.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 209, दिनांक 3 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर.

Rajgarh, the 3rd June 2019

Serial number-209-2019.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of the Clause 5-A of Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37, 1961), the State Government hereby notify its intention to include the area which are shown in the Schedule-1 below within the limits of the Nagar Parishad Chhapiheda Distt. Rajgarh. After including the said area of Schedule-1 in the limits of Nagar Parishad Chhapiheda Distt. Rajgarh the limits Nagar Parishad Chhapiheda will be shown in schedule-Two.

The local Authority having jurisdiction in the said area, person or resident there in may submit his objection within 07 days from the date of the publication of this notification to the Collector, distt. Rajgarh. The State Govt. shall take such objection in to consideration:—

Schedule-One

The area of the village proposed to be included in Chhapiheda Municipal limit shall be as follows

S. No.	Tehsil	Name of the Village	Proposed survey No. to be included	Area (In Hect.)	description of Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Khilchipur	Telikheda	1 to 163	133.023	Total

Schedule-Two

The boundary of schedule one, covering the current boundary of the Nagar Parishad Chhapiheda District Rajgarh

North—Village Pipakhedi
East—Village Sankhedi
South—Urban Area, Chhapiheda
West—Village Mohan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NIDHI NIVEDITA, Collector.